राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/I/38421/2015 दिनांकः 14/09/2015

परिपत्र–3

शासन सचिव, आयोजना के आदेश क्रमांक 22519 दिनांक 02.06.2015 के अनुक्रम में जन्म–मृत्यु पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने तथा पंजीकरण पश्चात जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कार्य ई–मित्र सेवा केन्द्रों के माध्यम से जयपुर शहरी क्षेत्र में 15.08.2015 एवं द्वितीय चरण में दिनांक 01.09.2015 से सम्पूर्ण जयपुर जिले में प्रारम्भ किया गया है। **इसी क्रम में तृतीय चरण में उक्त सेवा को दिनांक 15.09.2015 से सम्पूर्ण राज्य के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार की अधिकारिता अन्तर्गत घटित जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं सम्बन्धी पंजीयन कार्य हेतु सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत ई–मित्र केन्द्रों को अधिकृत किया जाता है।** ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षरित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगीः–

1. ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रपत्र में चाही गई सम्पूर्ण सूचनाऐं अनिवार्य रूप से भरनी होगी।
3. आवेदक को अपनी पहचान एव पते सम्बन्धी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। पहचान एवं पते के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता हैः– मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, कार्यालय पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेज, जिनसे फोटो/पते की पहचान हो सके।
4. आवेदक द्वारा जन्म/मृत्यु की घटना घटित होने सम्बन्धी प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। **जन्म की** घटना के सम्बन्ध में डिस्चार्ज टिकट या एएनएम/दाई/आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच/वार्डपंच/वार्डपार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्थानीय स्तर पर पदस्थापित राजकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि। **मृत्यु की** घटना के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एफआईआर या चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच/वार्डपंच/वार्डपार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्थानीय स्तर पर पदस्थापित राजकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि।
5. आवेदक को विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के प्रकरणों में 30 दिन से एक वर्ष की विलम्बित अवधि के लिए नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र पर जिला रजिस्ट्रार/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार की अनुज्ञा एवं 1 वर्ष से अधिक की विलम्बित अवधि के लिए नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा लेकर प्रस्तुत करनी होगी।
6. ई–मित्र के माध्यम से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने पर आवेदक को निम्नानुसार शुल्क ई–मित्र केन्द्र पर जमा कराकर टोकन प्राप्त करना होगाः–
    - आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज का राजकीय डाटाबेस से सत्यापन किये जाने की स्थिति में **10**/– रूपये।
    - आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज को स्केन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में **20**/– रूपये।

- 30 दिन पश्चात की विलम्बित घटना के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र को स्केन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में **30/–** रूपये।
- पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी पर प्रमाण पत्र प्रिन्ट हेतु **10/–** रूपये।

7. ई–मित्र संचालक द्वारा टोकन जारी करने के पश्चात किसी कारणवश यदि टोकन का उपयोग नहीं किया गया है, तो आवेदक द्वारा उक्त टोकन को निरस्त कराया जा सकेगा।
8. ई–मित्र संचालक द्वारा आवेदक से प्राप्त प्रपत्र की सम्पूर्ण सूचनाओं की प्रविष्ठि पहचान वेबपोर्टल पर की जाकर संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों को स्केन कर अपलोड करते हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित रजिस्ट्रार को उसी दिन अग्रेषित किया जावेगा।
9. जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार एक बार जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन का प्रावधान नहीं है, इसके लिए यह आवश्यक है कि आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र को कम्प्यूटर स्क्रीन पर पढवाया जावे या प्रिन्ट लेकर हस्ताक्षर करावे, ताकि प्रमाण पत्र में किसी तरह की त्रुटि नही रहे।
10. जन्म और मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण हेतु (21 दिवस पश्चात) नियमानुसार विलम्ब शुल्क **1/–** रूपये देय होगा। ई–मित्र संचालक द्वारा विलम्ब शुल्क से प्राप्त राशि प्रतिमाह राजकोष में निम्न बजट शीर्षक में चालान द्वारा जमा करायी जावेगीः–

    बजट शीर्षकः–

    1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

    00

    012 सांख्यिकी

    (01) आर्थिक और सांख्यिकी

    00
11. सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के अपने लॉगिन से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं दस्तावेजों की जांच पश्चात अधिकतम 3 दिवस मे डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा।
12. प्राप्त आवेदन में किसी तरह की कमी होने पर सम्बन्धित रजिस्ट्रार अविलम्ब 'पहचान' पोर्टल पर उसका अंकन करेगा। इसकी सूचना एस.एम.एस. (SMS) द्वारा आवेदक को भी भेजी जावेगी, जिससे आवेदक द्वारा सम्बन्धित ई–मित्र पर कमी की पूर्ति की जा सके।
13. घटना के पंजीकरण की सूचना आवेदक द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जावेगी। इसके अतिरिक्त 'पहचान' पोर्टल पर रेफरेंस नं. एवं टोकन नं. प्रविष्ठ करके भी पंजीकरण की स्थिति देखी जा सकेगी।
14. सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा जारी, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आवेदक को पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी में ई–मित्र संचालक द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
15. ई–मित्र संचालक को प्राप्त समस्त मूल आवेदन प्रपत्रों को ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका में प्रतिमाह पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जावें।

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव